झारखण्ड सरकार

<u>परिवहन विभाग</u>

एफ.एफ.पी भवन, एच.ई.सी. परिसर, धुर्वा, राँची।

<u>झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 एवं यथासंशोधित के तहत् वाहनों के परिचालन हेतु</u>

<u>मार्गदर्शी नीति (SOP)</u>

ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प सं०–1217, दिनांक–13.10.2022 एवं 1227, दिनांक–20.10.2023 के माध्यम से "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022" के कार्यान्वयन की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 एवं यथासंशोधित के तहत् परिचालित वाहनों, निजी बस ऑपरेटरों तथा संबंधितों के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

(I) <u>सामान्य निर्देश</u> :–

(1) झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 एवं यथासंशोधित से आच्छादित वाहन <u>हल्का नीला रंग में होंगे</u> एवं वाहनों के विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा वाहन के बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफेद रंग से पेंट की गई पट्टी पर हरे रंग से "मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी" एवं "ग्रामीण मार्ग" का नाम लिखा जायेगा। पट्टी की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊँचाई में अक्षरों का आकार 16 सेंटीमीटर होगा और वे ऐसे होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ–साफ पढ़ा जा सकता हो।

(2) इस योजना का लाभ परिवार के किन्हीं एक सदस्य को ही प्राप्त हो सकेगा तथा वे योजना के तहत् अधिकतम दो (02) वाहन प्राप्त कर सकते है। परिवार का अर्थ पति–पत्नी एवं बच्चे माना जाएगा। किसी कम्पनी के माध्यम से योजना का लाभ हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में कम्पनी के एक निदेशक को ही स्वीकृति दी जाएगी तथा अधिकतम दो वाहन अनुमान्य होगा।

(3) इस योजना के तहत परिचालित होने वाली सभी वाहन (बैठान क्षमता 07 से 42) GPS युक्त होंगे। केन्द्र सरकार के द्वारा अधिकृत निर्माता कम्पनी के द्वारा लगाये गये GPS को परिवहन विभाग के Software के साथ Integration कराना आवश्यक होगा।

(4) जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के सफल संचालन हेतु शिकायत निवारण कोषांग का गठन जिला स्तर पर किया जाएगा। एतद् संबंधी आवेदन/सुक्षाव/शिकायत प्राप्त करने हेतु प्रत्येक जिला में एक पृथक ई–मेल सृजित किया जाएगा तथा प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(II) <u>ग्रामीण मार्गों का निर्धारण</u> :–

(1) प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित नये ग्रामीण मार्गों का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को विहित प्रपत्र–क में भेजा जाएगा।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त नये ग्रामीण मार्गों की दूरी को कार्यपालक अभियंता से ग्रामीण मार्ग के सन्दर्भ में विनिर्दिष्ट प्रावधान यथा साधारण मार्ग (NH SH) का 50 प्रतिशत या 30 कि०मी० मार्गांश जो भी कम हो, का सत्यापन कराने के पश्चात् जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(3) उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव द्वारा जिला स्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नये ग्रामीण मार्गों का प्रकाशन (आपत्ति आमंत्रण हेतु) की जाएगी तथा आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में उसका समुचित निराकरण करते हुए प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित करेगी, जिसे अन्तिम रूप में विभाग स्तर पर अधिसूचित किया जा सकेगा।

(III) <u>मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत् आवेदन समर्पित करने एवं चयन की प्रक्रिया</u> :–

(1) इच्छुक आवेदक के द्वारा ग्राम गाड़ी योजना के तहत् वाहन परिचालन हेतु संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

(2) आवेदन के साथ वांछित कागजात के अतिरिक्त 10,000/– (दस हजार) रूपये का जिला परिवहन पदाधिकारी के नाम से निर्गत बैंक गारंटी (Refundable) संलग्न किया जाएगा। आवेदक के द्वारा समर्पित बैंक गारंटी आवेदन निष्पादन के पश्चात् आवेदक को अविलम्ब वापस कर दी जाएगी।

(3) आवेदक के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत अधिसूचित ग्रामीण मार्गों में से न्यूनतम 03 (तीन) ग्रामीण मार्गों का प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर आवेदन में उल्लेख किया जाएगा।

(4) जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा इस योजना के तहत् प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त लाभों के चयन हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा, जो निम्नवत है :–

उपायुक्त	–	अध्यक्ष
उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	–	सदस्य
जिला परिवहन पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
उपायुक्त के द्वारा नामित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के पदाधिकारी	–	सदस्य
संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के L.D.M के प्रतिनिधि	–	सदस्य

नोट :– यदि अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो किसी अन्य पदाधिकारी को नामित किया जा सकता है।

(5) प्रत्येक माह के 15 तारीख अथवा अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत् प्राप्त आवेदनों पर ही संबंधित माह में उपरोक्त समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। उक्त समिति के द्वारा प्रथम चरण में अधिसूचित ग्रामीण मार्गों पर 01 बस का संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। एक ही मार्ग पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक को अन्य अधिसूचित ग्रामीण मार्गों का चयन करने का विकल्प अगले बैठक में दिया जा सकता है।

(6) आवेदक के चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, स्थानीय निवासी इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका अंकण पद्धति निम्नवत है :–

क्र०सं०	श्रेणी	अंक
1.	स्थानीय निवासी	6
2.	अनुसूचित जनजाति	10
3.	अनुसूचित जाति	8
4.	पिछड़ा वर्ग	5
5.	महिला	5

नोट :– योजना के तहत् अधिसूचित ग्रामीण मार्ग में पड़ने वाले अंचल में रहने वाले व्यक्ति को ही स्थानीय निवासी का अंक प्रदान किया जाएगा।

(7) अंक समान होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से लाभुक का चयन किया जाएगा। वैसे आवेदक जिनका चयन नहीं हो पाया, वे इस योजना का लाभ हेतु (बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के) अन्य अधिसूचित ग्रामीण मार्गों पर आवेदन में चिन्हित 03 ग्रामीण मार्गों के अतिरिक्त अन्य विकल्प के साथ पुनः आवेदन समर्पित कर सकते है। सभी मार्गों का आवंटन होने के उपरान्त आवेदन स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(8) योजना की स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा वाहन का निबंधन कराकर परमिट प्राप्त करने संबंधी आवेदन 01 माह के अंदर समर्पित किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उक्त अवधि में 01 माह का विस्तार दिया जा सकता है।

(IV) <u>ब्याज सब्सिडी एवं विशेष वित्तीय सहायता के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश</u> :–

- जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अपने जिलान्तर्गत चयनित लाभुकों के ब्याज सब्सिडी एवं वाहन स्वामियों को विशेष वित्तीय सहायता के भुगतान के निमित्त अनुमानित राशि का आवंटन हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिला परिवहन पदाधिकारी ब्याज सब्सिडी का भुगतान सीधे संबंधित बैंक, वित्तीय संस्थान को Back Ended Subsidy के माध्यम से भुगतान किया जाएगा एवं वाहन स्वामियों को विशेष वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा।
- लाभार्थी 05 (पाँच) वर्षों से अधिक की ऋण चुनौती अवधि के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान से वाहन खरीदने के लिए ऋण उठा सकता है, किन्तु योजना के तहत लाभ अधिकतम 05 (पाँच) वर्षों के लिए दिया जाएगा। ऋण के लिए Margin राशि एवं अन्य देयता को भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
- जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा ब्याज सब्सिडी का भुगतान प्रत्येक वर्ष योजना स्वीकृति के एक वर्ष पूर्ण होने की तिथि को संबंधित बैंक को उनके स्तर से ही भुगतान किया जाएगा।
- जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा इस योजना के तहत् परिचालित वाहनों को विशेष वित्तीय सहायता संबंधित वाहन स्वामी को उनके बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- वाहन स्वामी द्वारा योजना के अन्तर्गत देय विशेष वित्तीय सहायता के भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिला परिवहन पदाधिकारी को आवेदन समर्पित किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहन स्वामी से प्राप्त आवेदन का नियमानुसार निष्पादन अनिवार्य रूप से 02 सप्ताह के अंदर किया जाएगा।

➢ जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बसों को विशेष वित्तीय सहायता GPS संबंधित MIS Report का मिलान करते हुए पूर्णतः संतुष्ट होकर योजना के प्रावधानान्तर्गत राशि भुगतान की जाएगी।

(V) <u>योजना से निकास हेतु प्रबंधन प्रक्रिया</u> :–

(1) योजना में चयन होने के पश्चात् लाभुक को परमिट निर्गमन की तिथि से न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि में वाहन को संचालित करना अनिवार्य होगा। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा 01 वर्ष के अंदर योजना से निकास हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो वाहन स्वामी के द्वारा उक्त वाहन के लिए निर्धारित वाहन निबंधन शुल्क, भुगतान की गई ब्याज सब्सिडी, फिटनेस जाँच शुल्क, परमिट आवेदन शुल्क का भुगतान, 03 (तीन) माह के लिए निर्धारित मार्ग एवं वाहन के बैठान क्षमता के अनुरूप भुगतान की गयी अथवा किये जाने वाले वित्तीय सहायता की राशि सरकारी कोष में जमा करना आवश्यक होगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा एक माह के अंदर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रस्तुत मार्गदर्शी नीति (SOP) की कंडिका–V(3) के अनुरूप विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

(2) योजना से स्वेच्छापूर्वक निकास हेतु लाभुक को उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करना होगा। योजना से निकास हेतु वाहन निबंधन शुल्क, भुगतान की गई ब्याज सब्सिडी, फिटनेस जाँच शुल्क, परमिट एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। परमिट प्रत्यर्पन की तिथि से पथकर का भुगतान किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संबंधित उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से परमिट प्रत्यर्पन का प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात् उक्त वाहन का Tax Updation की कार्रवाई की जाएगी।

(3) योजना के शर्त्तों का उल्लंघन किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा लाभार्थी को Show Cause Notice निर्गत की जायेगी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त/अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से नियमानुसार निम्न प्रकार दण्ड का निर्धारण किया जायेगा :–

(i) स्वीकृत ब्याज सब्सिडी की वसूली/कटौती।

अथवा

(ii) योजना के तहत स्वीकृत सभी प्रकार के लाभ से वंचित करना।

अथवा

(iii) वाहन के बैठान क्षमता एवं निर्धारित मार्ग के अनुरूप प्रति माह भुगतान की गयी अथवा किये जाने वाले वित्तीय सहायता की राशि का तीन गुना राशि सरकारी कोष में जमा करना।

अथवा

(iv) वृहत कादाचार प्रमाणित होने एवं राजकोषीय क्षति परिलक्षित होने पर वाहन स्वामी को भुगतान की गयी सभी प्रकार की सब्सिडी राशि तथा उक्त राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह अर्थदण्ड सहित सरकारी कोष में जमा करना या विधिसम्मत् कानूनी कार्रवाई करना।

(4) उपरोक्त के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में परिवहन आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(VI) इस योजना के तहत् संचालित वाहनों को योजना के प्रवधान एवं परमिट के शर्तों का अक्षरश् अनुपालन किया जाएगा। किसी भी वाहन को विशेष परिस्थिति में एक वर्ष में अधिकतम 12 बार मार्ग परिवर्तन की अनुमति होगी, परन्तु प्रारंभिक एवं गणंतव्य स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी मार्ग पर वाहन का नियमित परिचालन करना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में वाहन परिचालन नहीं करने संबंधित सूचना जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया जायेगा। लिखित सूचना पर एक माह में अधिकतम 03 दिन वाहन परिचालन नहीं किये जाने की अनुमति होगी। उक्त परिस्थिति को छोड़ कर अन्य मामलों में कंडिका–V(3) के अनुरूप विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

(VII) इस संबंध में परिवहन विभाग के आदेश संख्या–1709, दिनांक–09.11.2022 द्वारा पूर्व में निर्गत मार्गदर्शी नीति (SOP) को निरस्त किया जाता है।

अनु०– आवेदन प्रपत्र।

22.11.23.

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–परि०आ०–349/2015.....1155..... **/राँची, दिनांक–**.....22.11.2023.....

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/पी०एम०यू० कोषांग, परिवहन विभाग को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.11.23.

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना

आवेदन प्रपत्र

आवेदक का फोटो

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,

.....

1. आवेदक/कम्पनी का नाम :–.....
2. पिता/पति/निदेशक (कम्पनी के संदर्भ में) का नाम :–.....
3. लिंग :–.....
4. जन्म तिथि :–.....
5. शैक्षणिक योग्यता :–.....
6. जिला का नाम :–.....
7. प्रखण्ड का नाम :–.....
8. स्थाई पता :–.....
9. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (अंचल स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र):–.....
10. मोबाईल न0 :–.....
11. ई–मेल (यदि उपलब्ध हो):–.....
12. कोटि:–[(अनु0जनजाति/अनु0जाति/पिछड़ा वर्ग) (प्रमाण पत्र सहित)]:–.....
13. आधार संख्या अथवा पैन संख्या :–.....
14. बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम (IFSC Code) :–.....
15. वित्तीय पोषक बैंक का नाम एवं पता :–.....

    .....
16. बैंक गारंटी की विवरणी :–.....
17. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का नाम :–.....
18. ग्रामीण मार्ग का नाम (प्राथमिकता के अनुसार क्रम से) :–

    1.....

    2.....

    3.....
19. बस का प्रकार (Ordinary/Semi-Deluxe/Deluxe/Volvo) :–.....
20. बैठान क्षमता :–.....

स्व–घोषणा

मैं.....पिता/पति(कम्पनी की स्थिति में निदेशक का नाम)
श्री.....उम्र.....वर्ष.....निवासी.....
प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में शुद्ध एवं सत्य है। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भांति अवगत हूँ। साथ ही **मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना** की सभी शर्तों के अनुसार वाहन का परिचालन करूँगा। योजना के शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सरकार से प्राप्त सभी सुविधाओं की वापसी/वसूली तथा विधि सम्मत् कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं, तो मेरे विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

हस्ता०–

पहचानकर्ता का नाम/पता/दूरभाष एवं हस्ताक्षर :–

नाम :–

पता :–

दूरभाष सं० –

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

नाम :–

पता :–

दूरभाष सं० –

(अनुलग्नक– स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 629 राँची, गुरुवार, 4 कार्तिक, 1945 (श०) / 26 अक्टूबर, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

20 अक्टूबर, 2023

विषय : **झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या-परि०आ०-349/2015-1227--परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-1517, दिनांक-13.10.2022 (गजट सं.-512, दिनांक-17.10.2022) द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। प्रस्तुत योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण Connectivity हेतु निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराना है। इस योजना के तहत सूदूर ग्राम पंचायतों को प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक को जोड़ना एवं साथ ही साथ नजदीकी स्कूल, कॉलेज/उच्च शिक्षण संस्थानों/चिकित्सा संस्थानों/नजदीकी मुख्य मार्ग/नजदीकी व्यवसायी केन्द्र को जोड़ा जाना है ।

2. उक्त योजना के कियान्वयन के क्रम में उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड द्वारा सभी जिलों के बस ऑनर्स एसोसिएशन/वाहन स्वामियों के साथ बैठक की गयी है, जिसमें उनके द्वारा ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव/मंतव्य दिया गया है। सभी वाहन स्वामियों से प्राप्त सुझाव एवं मंतव्य के समीक्षोपरांत संकल्प के प्रावधानों में मुख्यत: निम्न संशोधन हेतु प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित की गयी है :-

i. झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 हेतु निर्गत परमिटों के पाँच वर्षों के उपरांत परमिट नवीकरण का प्रावधान अंकित नहीं है।
ii. उक्त योजना संबंधी संकल्प की कंडिका 6.6 (iii) एवं (iv) में 07 से 21 बैठान क्षमता तक के पुराने वाहनों के संबंध में कोई प्रावधान अंकित नहीं है।
iii. नये ग्रामीण मार्गो की अधिकतम दूरी 70 किलोमीटर अनिवार्य की गयी है जिसमें साधारण मार्ग (NH/SH) का 50% या 30 किलोमीटर मार्गांश दोनो में से जो भी कम हो, का भी प्रावधान है जिसके कारण दूरस्थ क्षेत्रो से जिला/अनुमण्डल मुख्यालय को जोड़ा नहीं जा सकता है।
iv. यदि परमिटधारी द्वारा स्वैच्छिक रूप से परमिट का प्रत्यार्पण किया जाता है तो उस स्थिति में क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिये यह स्पष्ट नहीं है।
v. नये मार्गो के निर्धारण में ग्रामीण मार्ग में पड़ने वाले सभी प्रखण्डो से प्रस्ताव अनुमोदित किया जाना है अथवा मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु से किसी एक प्रखण्ड से ही अनुमोदित किया जाये इस संबंध में संकल्प में स्पष्टता नहीं है।
vi. परमिट आवेदन शुल्क 500 रूपये से विमुक्ति अथवा लेने के संबंध में स्पष्टता नहीं है।

3. प्रासंगिक योजना के क्रियान्वयन में वाहन स्वामियों के स्तर पर आ रही कठिनाईयों के संबंध में उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड से प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् है:-

i. संकल्प की कंडिका 13.2 में आम नागरिको को बस भाड़ा में दिये जाने वाले रियायत का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को बस भाड़ा में रियायत दिया जाना है अथवा सभी शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं को बस भाड़ा में रियायत दिया जाना है, यह स्पष्ट नहीं है।
ii. शिक्षण संस्थानों में अवकाश अवधि अथवा अन्य प्रयोजन हेतु यदि छात्र/छात्रा यात्रा करते है तो उनसे भाड़ा वसूला जाय अथवा नहीं?
iii. वाहन स्वामियों द्वारा ग्रामीण बस हेतु अलग बस स्टैण्ड निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
iv. ग्रामीण बसों का भाड़ा का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?
v. वाहन स्वामियों द्वारा ग्रामीण बस का टॉल टैक्स/पड़ाव शुल्क माफ करने तथा विभिन्न वर्ग को बस भाड़ा में देय रियायत के क्षतिपूर्ति के एवज में सब्सिडी अथवा डीजल में सब्सिडी भी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड एवं बस ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों तथा वाहन स्वामियों के साथ सम्पन्न बैठक से संबंधित प्रतिवेदन के आलोक में बस भाड़ा में देय रियायत के क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से होने वाले आय-व्यय का अध्ययनोपरान्त ग्रामीण मार्गों पर संचालित वाहनों को क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाना है।

5. उक्त के आलोक में सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 में निम्न संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(i) संकल्प की कंडिका 6.1 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इस योजना के तहत् वैसे हल्के/मध्यम वाणिज्यिक चार पहिये वाहन, जिनमें Hard Top Body तथा Soft Top Body हो, जिनका निर्माण मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार 07 से 42 बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले केवल नवीन (New) क्रय किये गये वाहनों को इस योजना के तहत् परमिट एवं सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(ii) संकल्प की कंडिका 6.4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इस योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ केवल एक बार पाँच वर्षों की संचालन अवधि के दौरान या आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) संकल्प की कंडिका 6.6(i) को निम्नवत् प्रतिस्थपित किया जाता है :-

इस योजना के तहत प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 05 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये मार्ग कर में छुट दी जायेगी तथा परमिट शुल्क मात्र 1/- रूपया एवं आवेदन शुल्क मात्र 1/- रूपया लिया जायेगा। ग्रामीण मार्ग पर संचालित वाहन द्वारा संतोषजनक रूप से सेवायान का परिचालन किये जाने की स्थिति में परमिट नवीकरण पुन: 05 वर्षों अथवा योजना लागू रहने की तिथि, जो भी पहले हो, तक परमिट का नवीकरण किया जायेगा तथा पूर्व की तरह सभी प्रकार के विनिर्धारित सब्सिडी दी जायेगी।

(iv) संकल्प की कंडिका 6.6(iii) एवं 6.6 (V) को विलोपित किया जाता है।

(v) संकल्प की कंडिका 6.6(iv) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इस योजना के तहत अधिसूचित मार्गों पर 7 से 42 बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले क्रय किये गये नवीन वाहनों को ही संचालन की अनुमति होगी।

(vi) संकल्प की कण्डिका-6.8 के पश्चात निम्न प्रावधान अन्त:स्थापित किया जाता है :-

ग्रामीण मार्गों पर संचालित बसों को सरकारी बस स्टैंड में प्राथमिकता दी जायेगी तथा सभी प्रकार के पड़ाव शुल्क, नगर निगम प्रवेश शुल्क आदि से विमुक्ति रहेगी।

(vii) संकल्प की कंडिका 6.9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

योजना के तहत् वित्तीय प्रोत्साहन की तालिका निम्न प्रकार होगी :-

क्र. सं.	वाहन	मार्ग कर	परमिट शुल्क	आवेदन शुल्क	वाहन निबंधन शुल्क	फिटनेस जाँच शुल्क
1.	**नई क्रय की गयी वाहन जिसकी बैठान क्षमता 07 से 42 (चालक को छोड़कर) हो।**	कर मुक्त	मात्र रू. 1/-	मात्र रू. 1/-	मात्र रू. 1/-	मात्र रू. 1/-

(viii) संकल्प की कंडिका 8.2 में अंकित "अधिकतम लम्बाई 70 किलोमीटर" के स्थान पर "अधिकतम लम्बाई 125 किलोमीटर" से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(ix) संकल्प की कंडिका 8.6 के पश्चात नई कंडिका 8.7 निम्नवत् अंत:स्थापित किया जाता है :-

नये ग्रामीण मार्गों के चिन्हितीकरण के क्रम में मार्ग दो या दो से अधिक प्रखण्ड अथवा जिला में पड़ने की स्थिति में सभी प्रखण्ड स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगी परन्तु ग्रामीण मार्ग का अंश दो या दो से अधिक जिला में से वैसे जिला जिसमें ग्रामीण मार्ग की दूरी कुल मार्ग की दूरी का 25% से कम होने की स्थिति में संबंधित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(x) संकल्प की कंडिका 12.1 के पश्चात नई कंडिका 12.1.1 निम्नवत् अंत:स्थापित किया जाता है :-

झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के तहत आम नागरिकों को बस भाड़ा में दिये जाने वाले रियायत की क्षतिपूर्ति के निमित उक्त योजना के अंतर्गत संचालित वाहनों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के वाहनों को विशेष वित्तीय सहायता निम्नवत प्रदान की जायेगी:-

वाहन की श्रेणी बैठान क्षमता के आधार पर	33 से 42 सीट तक	25 से 32 सीट तक	13 से 24 सीट तक	07 से 12 सीट तक
देय विशेष वित्तीय सहायता	18 रूपये प्रति किलोमीटर	14.50 रूपये प्रति किलोमीटर	10.50 रूपये प्रति किलोमीटर	7.50 रूपये प्रति किलोमीटर

एतद् संबंधी SOP (Standard Operating Procedure) परिवहन विभाग द्वारा अलग से निर्धारित की जायेगी ।

(xi) परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-1517, दिनांक-13.10.2022 सहपठित गजट सं.-512, दिनांक-17.10.2022 द्वारा संसूचित झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है एवं उक्त गजट के कण्डिका-12.2 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्कीम, मांग संख्या-47, मुख्य शीर्ष -3055-सड़क परिवहन, उप मुख्य शीर्ष-00-सड़क परिवहन, लघु शीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन के अंतर्गत, उप शीर्ष-04-झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान (Grant-in-Aid for Jharkhand Mukhyamantri Gram Gadi Yojana) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होना निर्धारित है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 250 वाहन संचालन किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा देय वित्तीय सहायता में अनुमानित वित्तीय भार 24.00 (चौबीस) करोड़ रूपये आकलित की गई है। योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात ग्रामीण मार्गों पर परमिट की स्वीकृति हेतु वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों एवं आम नागरिकों की आवश्यकता/मांग को ध्यान में

रखते हुए भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत पूर्व से निर्धारित वाहनों की संख्या में यथावष्यक अभिवृद्धि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा की जायेगी।

(xii) वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। यदि वाहन स्वामी द्वारा इस योजना के तहत् स्वीकृत परमिट को स्वेच्छा से प्रत्यर्पण किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई संबंधित उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, परिवहन प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

(xiii) भविष्य में झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 योजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली त्रुटियों का निराकरण करने हेतु परिवहन विभाग स्वयं सक्षम होगा एवं वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मुद्दो पर विधिसम्मत अधिसूचना को निर्गत करने हेतु परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार स्वयं सक्षम होगा।

6. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के प्रदत्त सशर्त अनुमोदन के आलोक में निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

(a) झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के अंतर्गत प्रथम चरण में 250 बसों का चिन्हित पथ मार्गों पर परिचालन कराया जाएगा।

(b) यह योजना प्रथम चरण में 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

7. उपरोक्त संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा एवं एतद् संबंधी पूर्व से निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

8. एतद पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-18.10.2023 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 629 - 50